प्रेस विज्ञप्ति

29.03.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 28.03.2025 को 19.61 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जो मेसर्स कर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (केआईपीएल), मेसर्स कर्म ब्रह्मा और अफोर्डेबल होम्स प्राइवेट लिमिटेड (केबीएएचपीएल) और अन्य के मामले में अपराध की आय (पीओसी) से अर्जित पाई गई हैं। ये चल और अचल संपत्तियां निदेशकों, समूह संस्थाओं और अन्य व्यक्तियों की हैं, जिन्हें आरोपी कंपनियों द्वारा ऋण और अग्रिम के रूप में पीओसी दी गई थी।

ईडी ने शाहपुर पुलिस स्टेशन, ठाणे; नौपाड़ा पुलिस स्टेशन, ठाणे; और सफाला पुलिस स्टेशन, पालघर में मेसर्स केआईपीएल और मेसर्स केबीएएचपीएल के निदेशकों के खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने अब तक दो आरोप पत्र दायर किए हैं।

ईडी की जांच में पता चला है कि रमाकांत जाधव और अन्य निदेशकों ने अपनी कंपनियों मेसर्स केआईपीएल और मेसर्स केबीएएचपीएल के माध्यम से घर खरीदारों से अपने विभिन्न आवासीय परियोजनाओं जैसे कर्म रेजीडेंसी, कर्म पंचतत्व, कर्म गार्डन और पालघर में एक आवासीय परियोजना के लिए फ्लैट देने का वादा करके धन एकत्र किया। उक्त कंपनियों के निदेशकों ने गरीब लोगों को अपने विभिन्न आवास परियोजनाओं में घर खरीदने के लिए लुभाने के लिए विज्ञापन चलाए और उन्हें वादा किए गए फ्लैट देने में विफल रहे। जांच के दौरान पता चला कि रमाकांत जाधव और अन्य निदेशकों ने अपनी कंपनियों अर्थात मेसर्स केआईपीएल और मेसर्स केबीएएचपीएल के माध्यम से घर खरीदारों से 320.51 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की, जो अभी भी बकाया है यानी वादा किए गए फ्लैट घर खरीदारों को नहीं दिए गए। इसमें यह भी खुलासा हुआ कि जाधव और अन्य निदेशकों ने एकत्रित धनराशि का बड़ा हिस्सा विभिन्न मीडिया में अपने आवासीय परियोजनाओं के विज्ञापन चलाने में खर्च किया, विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं को भूमि और अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम राशि दी तथा विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए भी बड़ी धनराशि खर्च की।

दिसंबर 2024 के महीने के दौरान, ईडी द्वारा आरोपी व्यक्तियों के परिसरों में तलाशी भी ली गई, जिसके दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए।

आगे की जांच जारी है।